न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस

राजस्व वाद 78/17

1. श्री मोती पिता स्व. चैना जी डांगी निवासी ग्राम पुंला वार्ड नम्बर –54, गणपति विहार, तहसील बडगांव जिला उदयपुर

वादी

1. श्री कालु पिता स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी ग्राम पुंला कडेचा तहसील बडगांव जिला उदयपुर
2. श्री शंकरलाल पिता स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी ग्राम भुवाणा, मार्डन कॉम्प्लैक्स, तहसील बडगांव जिला उदयपुर
3. श्री रूपलाल पिता स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी वार्ड नम्बर – 54, पुंला, तहसील बडगांव जिला उदयपुर
4. श्रीमती केशी बाई बेवा स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी वार्ड नम्बर – 54, पुंला, तहसील बडगांव जिला उदयपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बडगांव जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

अधिवक्ता वादी श्री आलोक जैन एवं
अधिवक्ता प्रतिवादी श्री हर्षद जोशी उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–

वादी श्री मोती पिता स्व. चेना डांगी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में दिनांक 25.7.17 को प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों की तलबी करायी गयी। प्रतिवादीगणों की तामिल होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिक्ता ने जवाब के साथ प्रतिदावा प्रस्तुत किया। वादी की ओर से प्रतिदावे का जवाब नहीं देकर प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 का प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया वादी ने दर्शाया कि न्यायालय धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदान की जा सकती हो वह प्रदान की जावे। प्रतिवादी ने प्रतिदावा दिनांक 11.9.17 को पेश किया। परन्तु मौजा पूला की आ.न. 265 रकबा 0.2650 हेक्टर सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरण क्रम संख्या 552 दिनांक 22.3.17 को पुनर्ग्रहण आदेश से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होकर कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रतिदावे के सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से इसी स्टेज पर प्रतिदावा काबिल निरस्त के है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया जवाब में दर्शाया कि कथित नामान्तरण वादी द्वारा साजिश के तहत करवाया गया प्रतीत होता है। वादी प्रतिवादीगणों को उनके विधिक हक से मेहरूम करना

चाहता है। ऐसा उसका दुराशय प्रतीत होता है। कथित कार्यवाही वाद पेश करने के बाद जानबुझकर करवायी गयी है। वादी एक तरफ तो घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कृषि भुमि मान करके पेश किया है दूसरी तरफ जब प्रतिदावे का प्रश्न आता है तो वादी के दोहरे मापदण्ड वाला आचरण न्यायालय की गरिमा के प्रतिकुल है। अतः वादी का वाद प्रथमतः खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण के प्रतिदावे में अग्रिम आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वादी ने जवाब अनुसार बहस में भी यही दर्शाया कि भुमि आबादी में रूपान्तरित हो गयी है। नगर विकास प्रन्यास के नाम पर दर्ज हो चुकी है। वाद दायर करने से पहले कृषि से अकृषि हो गई है। दावा 25.7.17 को पेश किया गया जबकि मार्च 2017 में रूपान्तरण हो चुका । वादी की मृत्यु भी हो चुकी है।

प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस में दर्शाया कि वाद 25.7.17 को पेश हुआ। नगर विकास प्रन्यास के नाम 18.9.17 को दर्ज हुआ जो Les Pendency में हुआ । पुनर्ग्रहण आदेश रूपान्तरण नहीं होता है। अतः दावा एवं प्रतिदावा दोनो खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व जवाब पर गहनता से अध्ययन किया गया । उभयपक्ष की बहस पर भी मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भुमि मौजा पूंला पटवार हल्का शोभागपुरा तहसील बडगांव की आ.न. 265 रकबा 0.2650 हेक्टर सम्पूर्ण रकबा दिनांक 22.3.17 से पुनर्ग्रहण आदेश से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम अकृषि प्रयोजनार्थ दर्ज करने की स्वीकृति जारी होकर जमाबन्दी में भी अकृषि दर्ज हो चुकी है। अतः इस न्यायालय का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार नहीं रहा है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया जाता है। व क्षैत्राधिकार नहीं होने से वादी का वाद भी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी के इस कथन से भी न्यायालय सहमत है कि पुनर्ग्रहण आदेश रूपान्तरण नहीं होता है अतः नगर विकास प्रन्यास को निर्देशित किया जाता है कि इस भुमि बाबत सभी पक्षकारों को सुनकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
गिर्वा–उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी, आई.ए.एस. मुकद्मा 78/17 सन 2017 सीगह वाद (1)श्री मोती पिता स्व. चैना जी डांगी निवासी ग्राम पुंला वार्ड नम्बर –54, गणपति विहार, तहसील बडगांव जिला उदयपुर। बनाम (1) श्री कालु पिता स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी ग्राम पुंला कडेचा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (2) श्री शंकरलाल पिता स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी ग्राम भुवाणा, मार्डन कॉम्प्लैक्स, तहसील बडगांव जिला उदयपुर (3) श्री रूपलाल पिता स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी वार्ड नम्बर –54, पुंला, तहसील बडगांव जिला उदयपुर (4) श्रीमती केशी बाई बेवा स्व. तुलसीराम जी डांगी निवासी वार्ड नम्बर –54, पुंला, तहसील बडगांव जिला उदयपुर (5) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बडगांव जिला उदयपुर अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने कमर चौधरी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादीगण की और से अधिवक्ता श्री आलोक जैन एवं प्रतिवादी की और से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि

प्रतिवादी के प्रतिदावे के विरूद्ध वादि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी का प्रतिवाद खारिज किया जाता है। साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से पूर्व ही आबादी भुमि हो जाने से न्यायालय हाजा के श्रवण क्षेत्राधिकारी में नहीं रही है। जिससे वादी का वाद भी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ..... रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ..... द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख ..... माह ..... सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....

पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		